संख्या-127/2021/537/69-1-2021-23(म0ब0-83)/2019

प्रेषक,

अखिलानन्द ब्रह्मचारी,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 12 जुलाई, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 से मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-आगरा की 10 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3410/10/छः/विविध(द्वितीय किश्त)/2019-20 आगरा, दिनांक 08 जनवरी, 2021 एवं पत्र संख्या-3982/10/छः/विविध(द्वितीय किश्त)/2019-20 आगरा, दिनांक 10 फरवरी, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-आगरा की नगर निगम, आगरा की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 14 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-43/2020/1616/69-1-2019-23(म0ब0-83)/2019, दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा रू0 463.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 231.655 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। अतएव जनपद- आगरा की नगर निगम, आगरा की 10 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि **रू0 139.445 लाख (रूपये एक करोड़ उन्तालीस लाख चौवालीस हजार पांच सौ मात्र)** की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरूथा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ,मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके

क्रमश:.....2

http://bhsanadesh.up.gov.in

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक आफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
15. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

क्रमशः.....3

http://shasanadesh.up.gov.in

17. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2022 तक व्यय हो सके।
19. **प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, इूडा की होगी।**

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक **"5377-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी आदेशों के तहत् किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।

संख्या-127/2021/537(1)/69-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(के0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-127/2021/537/69-1-2021-23(म0ब0-83)/2019, दिनांक 12 जुलाई, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	नगर निगम, आगरा	राजपुर चुंगी शहीद नगर (पराशर एन्कलेव) में श्री बर्तन भण्डार से बन्टी बघेल एवं बन्टी बघेल से रघुवीर सिंह तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.68	4.84
2	तदैव	तदैव	वेद नगर देवरी रोड में रमेशचन्द से अशोक कुमार तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	18.53	9.265
3	तदैव	तदैव	आगरा कैन्ट में मुस्तफा क्वाटर (न्यू जनता नगर) में शम्भू राम सिंह से शशिकान्त शर्मा जी तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	24.18	12.09
4	तदैव	तदैव	गणेश बिहार देवरी रोड वार्ड 05 में सर्वोदय इण्टर कालेज से जय माता दी इण्टरप्राइजेज एवं सन्तोष से सुन्दर सिंह तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	32.19	16.095
5	तदैव	तदैव	अमित नगर देवरी रोड वार्ड नं0 05 में गुप्ता स्वीटस स्टोर से राजेन्द्र से भगवत स्वरूप तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	36.84	18.42
6	तदैव	तदैव	मुरली नगर फतेहाबाद रोड वार्ड 88 में पीपल के पेड़ से वीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अकबर से मुरली मन्दिर तक, वीरे से प्रिंका शर्मा एवं प्रियंका शर्मा से राजेश दीक्षित तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	12.73	6.365
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 में अन्नू अग्रवाल से राजन, निरंजन से राध, राजन से सेठ, देवेन्द कश्यप से विनोद, किशन सिंह से प्रेमचन्द्र, खेमचन्द से देवीराम, रामवीर से सीताराम एवं रामवीर से टीटू तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	24.72	12.36
8	तदैव	तदैव	कृष्ण कालोनी फेस-02 वार्ड नं0 05 में अन्य गलियों में रामजीलाल लेखपाल से जगदीश पाल एवं श्री तोमर से विजय तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	28.44	14.22
9	तदैव	तदैव	प्रेम नगर वार्ड नं0 57 में रतन फर्नीचर से	42.91	21.455

http://shasanadesh.up.gov.in

			नत्थीलाल, भीमसैनसे छोटेलाल, मुन्नालाल से कप्तान सिंह, नरायन सिंह से बबलू, भूरी देवी से राजवीर फौजी, मुकेश से सतीश, पप्पू से मुन्नालाल, भारत से विजेन्द्र नेमीचन्द से सुभाष, मनोज से सुरेश, जितेन्द्र राजपूत से कपूरी देवी, सतीश से कैलाश मास्टर साहब, धनपाल से हैप्पी, राकेश से बृजेश, पंचम सिंह से पप्पू, गिर्राज से रविन्द कुमार, सुभाषचन्द से बबलू, बबलू से मान सिंह एवं मान सिंह से विजय सिंह तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।		
10	तदैव	तदैव	सोहल्ला वार्ड 632 में सी0ओ0डी0 में सौहल्ला फाटक एवं सौहल्ला फाटकसे देवी मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	48.67	24.335
योग				**278.89**	**139.445**

(रूपये एक करोड़ उन्तालीस लाख चौवालीस हजार पांच सौ मात्र)।

(के0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http//shasanadesh.up.gov.in